न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव** (आई०ए०एस०)
वाद सं0 : 279 सन 2025
अनवान :–

1. श्योराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

2. अनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर (हनुमानगढ.)
3. उर्मिला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर .
4. ज्याना पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. धर्मजीत पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
6. पन्नालाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
7. परममजीत पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. भजनलाल पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. भैराराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर हनुमानगढ.
10. मदनलाल पुत्र चन्द्रावली जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
11. मंजु पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
12. राजेश पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
13. रामप्रताप पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
14. रामा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
15. लिछमा पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
16. श्रीराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
17. सुमन पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
18. सरबती पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

तरतीवी प्रतिवादीगण–

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/06/26

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया की यह कि रोही मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न० 371 / 440 के मु० न० 44 के किला न० 7 / .253 14 / 253 17 / 253 18 / 253 19 / 253 20 / 253 21 / 253 22 / 253 23 / 253 24 / 253 भूमि वादी दादा धन्ना पुत्र भियाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ. को किमतन अलोट होकर गैर खातेदारी दर्ज हुई।

उपरोक्त कृषि भूमि कि किस्ते समय पर नही जमा करवाने के कारण तहसीलदार राजस्व नोहर के आदेश कृमांक 93 / 2665 दिनांक 25.01.1993 को आंवटन भूमि को निरस्त कर दिया गया जिसका नामान्तरण स० 126 दिनांक 15.03.1994 को दर्ज व मंजुर हुआ तहसीलदार राजस्व नोहर के आदेश कृमांक 93 / 2665 दिनांक 25.01.1993 के विरूध श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर के समक्ष वाद पेश किया जिसमे बाद

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सुनवाई श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर ने तहसीलदार राजस्व नोहर के आदेश कृमांक 93/2665 दिनांक 25.01.1993 को निरस्त करते हुए रिज्युम रकबा बिना शास्ति आदेशित बहाल किये जाने के आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को आदेशित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा 03.12.1994 को आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया मुल अलाटी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 है इनके अलावा अन्य वारिस नही है।

रोहि मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न० 371/440 के मु० न० 44 के किला न० 7/253 14/253 17/253 18/253 19/253 20/253 21/253 22/253 23/253 24/253 वादी दादा धन्ना पुत्र भियाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़. को अलोट शुदा भूमि है जिस पर अवटन के पश्चात लगातार कब्जा कास्त मे चली आ रही इस लिए विवादित भूमि कब्जा कास्त मे व सम्पुर्ण किस्ते जमा होने के कारण विवादीत भुमि का खातेदार कास्तकार हो चुका था।

रोहि मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न० 371/440 के मु० न0 44 के किला न० 7/253 14/253 17/253 18/253 19/253 20/253 21/253 22/253 23/253 24/.253 वादी दादा धन्ना पुत्र भियाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ को अलोट के 10 साल बाद सम्पुर्ण किस्ते जमा होने के पश्चात ही खातेदार काश्तकार हो चका था मगर वादगस्त भुमि आज भी वादी व प्रतिवादी स० 2 ता 18 के नाम खातेदार कास्तकार कि जगह गैर खातेदार कास्तकार विधी विरूध दर्ज है जिसमे वादी खातेदारी हकुको का हनन होता है वादी अपने खातेदारी हकुक कि धोषणा करवाकर एव जमाबदी मे दुरूस्त करवा वजाय गैर खातेदार कास्तकार दर्ज के खातेदार कास्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है 9–यह कि मुल आंवटी का देहात हो चुका है जिसके पश्चात रोहि मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न0 371/440 के मु० न0 44 के किला न0 7/253 14/. 253 17/253 18/253 19/. 253 20/253 21/253 22/253 23/253 24/. 253 भूमि पर वादी 1/8 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 2 7/144 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 3 7/216 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 4 1/24 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 5 7/288 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 6 1/8 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 77/288 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 8 1/24 हिस्सा व तरतिवी स० 9 1/8 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 10 1/72 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 117/216 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 12 1/24 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 13 7/72 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 14 7/144 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 15 7/216 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 16 7/72 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 177/288 हिस्सा व तरतिवी प्रतिवादी स० 187/288 हिस्सा पर काबिज कास्तकार है।

रोहि मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न० 371/440 के मु० न0 44 के किला न0 7/253 14/253 17/253 18/253 19/253 20/253 21/253 22/253 23/253 24/.253 भूमि जिस पर अलोटमेन्ट के बाद से वादीगण आवटन भुमि की समस्त शर्तो की पालना करने व सम्पुर्ण राशी जमा होने के कारण खातेदार कास्तकार हो चुके थे व वादीगण विवादीत भुमि को मुताबिक हक व हिस्सा कास्त करते व रकम राज अदा करते आ रहै। रोहि मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न० 371/440 के मु० न० 44 के किला न० 7/253 14/.253 17/.253 18/.253 19/253 20/253 21/253 22/253 23/.253 24/.253 भूमि वादीगण के नाम खातेदार कि वजाय गैरखातेदार दर्ज कर दी जिससे वादी व तरतिवी प्रतिवादी स० 2 ता 18 के खातेदारी हकुक का हनन होता है इस लिए वादी विवादीत भुमि को गैरखातेदार वजाय खातेदार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 20 डीपीएन के प० न० 371/440 के मु० न० 44 के किला न० 7/253 14/.253 17/.253 18/.253 19/253 20/253 21/253 22/253 23/.253 24/.253 हैक्‍ भूमि के वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का अनुतोष वादी में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर रिपोर्ट पेश की गई की वाद भूमि वादी के पूर्वजों को आवटन है किन्तु आवटन आदेश की प्रति पेश नही की गई मूल आवटी का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है रकबा पर कोई विवाद नही है किसी सार्वजनिक कार्य हेतु आरक्षित नही है पैराफरी क्षेत्र में नही है किसी प्रकार का भार बकाया नही है भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में आता है आवंटी के वारिसान के कब्जा काश्त में है आवंटन आदेश के अभाव में आवटित रकबा स्पष्ट नही है रकबा भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में आता है वादी भाखडा नियमों के तहत खातेदारी पाने का अधिकारी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा करवाकर खातेदारी पाने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादी का आवंटनशुद्वा भूमि है जो पूर्व में वादी के पूर्वज आवंटी के कब्जा काश्त में थी वर्तमान में वादी व तरतीबी प्रतिवादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है समस्त प्रकार के प्रभार से मुक्त है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है आवटन की सभी शर्तो की पालना करने के कारण वाद भूमि को वादी एव तरतीबी प्रतिवादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पैराकार राज ने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि भाखडा नियमों के तहत आवंटन की गई इसलिये वादी भाखडा नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि रोहि मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न० 371/440 के मु० न0 44 के किला न0 7/253 14/253 17/253 18/253 19/253 20/253 21/253 22/253 23/253 24/.253 वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र भियाराम जाति जाट साकिन रामगढ को उक्त भूमि किसके द्वारा आवंटन की गई थी का अपने वाद में कोई विवरण एवं साक्ष्य पेश नही किया गया है वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि भाखडा नहर परियोजना के प्रावधानो के तहत पूर्व में खारिज किया जाकर बहाल किया गया था जिससे स्पष्ट है कि वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र भियाराम को भाखडा नहर परियोजन के प्रावधानो के तहत आवटन किया गया था वादी के द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण जिससे रकबा बहाल किया गया था में अंकित रकबा व वादी के वाद में अंकित रकबा में भिन्नता है जिसका किसी प्रकार का विवरण वादी ने अपने वाद में अंकित नही किया गया है।

वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र भियाराम को रोहि मोजा चक 20 डी पी एन तहसील नोहर के प० न० 371/440 के मु० न0 44 के किला न0 7/253 14/253 17/253 18/253 19/253 20/253 21/253 22/253 23/253 24/.253हैक्‍ भूमि उपनिवेशन अधिनियम के भाखडा नहर परियोजना के तहत आवंटन की गई थी तथा पूर्व में आवंटन भूमि पर भाखडा परियोजना के नियमों के तहत कार्यवाही होती रही है वादी भाखडा नहर

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

परियोजना के आंवटन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार भाखडा नहर परियोजना के नियमों में पाने के लिये स्वतन्त्र है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र भियाराम को वाद भूमि भाखडा परियोजना क्षेत्र के आवंटन नियमों के तहत आवंटन की गई थी उन्ही नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण वादी का वाद काबिल खारिज है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. श्योराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

2. अनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
3. उर्मिला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
4. ज्याना पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. धर्मजीत पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
6. पन्नालाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
7. परममजीत पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. भजनलाल पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. भैराराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर हनुमानगढ.
10. मदनलाल पुत्र चन्द्रावली जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
11. मंजु पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
12. राजेश पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
13. रामप्रताप पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
14. रामा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
15. लिछमा पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ.
16. श्रीराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
17. सुमन पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
18. सरबती पत्नी सुभाष जातिं जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

तरतीवी प्रतिवादीगण–

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 279 सन 2026 निर्णय दिनांक– 09/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तवन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नही होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेवल नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)